

9/12/24 पञ्जावली चेश डुई।

अपीलाण्ट बाबजूद ताकील के
न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं।
न ही उनके वकील उपस्थित हो रहे हैं।
इस प्रकार अपीलाण्ट पञ्जावली में पैरवी
करने हेतु बकालतन अथवा असालतन
न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
जिस पर न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट
की आवाजे लगाई गई। लेकिन
अपीलाण्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं।
इस ही ऐसी स्थिति में पञ्जावली
अवम हाजरी अवम पैरवी में खरीज
की जाती है पञ्जावली केवल शुमार
लेकर दोरिबल दफ्तर हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)